(2020) 4 SCR 254

साऊथ ईस्ट एशिया मारिन इन्जीनरिंग एंड
कंस्ट्रक्शन एल टी डी (सीमिक एल टी डी.)
विरुद्ध
आयल इंडिया लिमिटेड
(सिविल अपील न. 673 ऑफ़ 2012)
मई 11, 2020

[एन.वि. रमना, एम्.एम्. शंतानागौदर और अजय रस्तोगी, न्यायाधीशगण .]

अनुबंध: कुएं की ड्रिलिंग और अन्य सहायक कार्यों के लिए निविदा जारी की गई - अनुबंध के अस्तित्व के दौरान अपीलकर्ता को कार्य आदेश दिया गया, ड्रिलिंग कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्रियों में से एक हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की कीमतें सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र के माध्यम से बढ़ गईं- अपीलकर्ता ने दावा किया कि एचएसडी की कीमत में वृद्धि के कारण अनुबंध के तहत खंड 23 में निहित कानून खंड में बदलाव आया और प्रतिवादी खंड 23 के संदर्भ में, यदि कीमत की तारीख के बाद होता है, तो इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी हो गया। बोली खोलने पर, किसी कानून में बदलाव या अधिनियमन या मौजूदा कानून की व्याख्या में बदलाव हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध के तहत संचालन के कारण ठेकेदार को लागत में अतिरिक्त लागत/कमी हुई, ठेकेदार इस तरह के अतिरिक्त/कम प्राप्त करने का हकदार होगा वास्तव में खर्च की गई लागत - अपीलकर्ता ने मध्यस्थता खंड का आह्वान किया - मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने यह कहते हुए दावे की अनुमति दी कि खंड 23 को उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए और सरकार के किसी भी परिपत्र को कानून में बदलाव के समान माना जाएगा - अपील पर, उच्च न्यायालय ने पंचाट/अधिनिर्णय को रद्द कर दिया - आयोजित: वहां मूल्य में उतार-चढ़ाव हैं जिन्हें एक विवेकपूर्ण ठेकेदार निविदा में बोली लगाते समय मार्जिन में ले जाएगा - ऐसे मूल्य में उतार-चढ़ाव को 'कानून में बदलाव' खंड के तहत नहीं लाया जा सकता है जब तक कि विशिष्ट भाषा समावेशन की ओर इशारा न करे - विचाराधीन अनुबंध एक निश्चित दर पर आधारित था पार्टी नेनिविदा प्रक्रिया में प्रवेश करने से पहले, इस तरह की वृद्धि के जोखिम को कम करने के बाद अनुबंध में प्रवेश किया, एचएसडी की दर में परिवर्तन को शामिल करने के लिए खंड 23 के अर्थ का विस्तार करने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण की व्याख्या अपीलकर्ता के रूप में इस अनुबंध की संभावित व्याख्या नहीं थी। अनुबंध अधिनियमों को रद्द करते हुए उसी मध्यस्थ पंचाट/अधिनिर्णय को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया। *S56- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-8.34 बल का सिद्धांत घटनामध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: धारा 34-न्यायालय के दायराधारा 34 के तहत क्षेत्राधिकार पर चर्चा की गई।*

साउथएस्टेशिया मरीन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड। (सीमेक लिमिटेड)। ऑयल इंडिया लि.

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित किया गया की : 1. यह स्थापित स्थिति है कि एक न्यायालय केवल मध्यस्थता अधिनियम में प्रदान किए गए आधारों पर ही पंचाट अधिनिर्णय को रद्द कर सकता है, जैसा कि न्यायालयों द्वारा व्याख्या की गई है। यह भी स्थापित कानून है कि जहां दो दृष्टिकोण संभव हैं, न्यायालय तर्क द्वारा समर्थित मध्यस्थ द्वारा उठाए गए प्रशंसनीय दृष्टिकोण में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। [पैरा 12,13] [260-जी-एच; 261-डी]

2. व्यापक व्याख्या प्रदान करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अनुबंध के 'कानून में बदलाव' खंड की व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि व्याख्या का मुख्य नियम यह है कि लिखित अनुबंध बनाने वाले दस्तावेज़ को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और जहां तक संभव हो परस्पर व्याख्यात्मक। मौजूदा मामले में, खंड की व्याख्या करते समय ट्रिब्यूनल द्वारा इस बुनियादी नियम की अनदेखी की गई थी। इस मामले में, अनुबंध एक निश्चित दर डी आधार पर आधारित था। पार्टी ने, निविदा प्रक्रिया में प्रवेश करने से पहले, मूल्य वृद्धि के जोखिम को कम करने के बाद अनुबंध में प्रवेश किया। यदि निविदा का उद्देश्य मूल्य भिन्नता के जोखिमों को सीमित करना था, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा रखी गई व्याख्या को संभव नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह अनुबंध के स्पष्ट शब्दों और उद्देश्य को पूरी तरह से विफल कर देगा। एचएसडी की कीमत में बदलाव को शामिल करने के लिए अनुबंध के 'कानून में बदलाव' खंड के अर्थ का विस्तार करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की व्याख्या इस अनुबंध की संभावित व्याख्या नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जो इसे साबित करता हो। [पैरा 28, 30 और 31][267-ए, डी-एफ]

सुमितोमो हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2010) 11 एससीसी 296: [2010] 9 एससीआर 176-अनुपयुक्त ठहराया गया।

सत्यब्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी एआईआर 1954 एससी 44: [1954] एससीआर 310; मैकडरमॉट इंटरनेशनल इंक. बनाम बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (2006) 11 एससीसी 181: [2006] 2 सप्ल। एससीआर 409; डायना टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड बनाम क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड (2019) एससीसी ऑनलाइन एससी 1656 - संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट[2020] 4 एस.सी.आर.

चैंडलर बनाम वेबस्टर [1904] 1 केबी 493; फ़ाइब्रोसा स्पोल्का अक्सीजना बनाम फ़ेयरबैर्न लॉसन कॉम्बे बारबोर लिड: [1942] यूकेएचएल 4; कैंटियारे सैन रोक्को एसए (शिपबिल्डिंग कंपनी) बनाम क्लाइड शिपबिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड. [1924] एसी 226 का उल्लेख किया गया है।

केस कानून संदर्भ

[2006] 2 पूरक। एससीआर 409 निर्दिष्ट पैरा 8

[1954] एससीआर 310 निर्दिष्ट पैरा 20

[2010] 9 एससीआर 176 निर्दिष्टपैरा 27

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2012 की सिविल अपील संख्या 673

2006 की मध्यस्थता अपील संख्या 11 में गौहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 13.12.2007 से।

साथ

2012 की सिविल अपील संख्या 900।

डॉ। मनीष सिंघवी, वरिष्ठ. अधिवक्ता, डी.के. देवेश, अभिनव एस. रघुवंशी, पीयूष उपाध्याय, हितेश वत्स, सोमिरन शर्मा, बीजू पी. रमन के.आर. शशिप्रभु, सलाहकार। उपस्थित पक्षों के लिए.

न्यायालय का निर्णय एन. वी. रमन्ना, न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया।

2012 की सिविल अपील संख्या 673

1. वर्तमान अपील गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित 2006 की मध्यस्थता अपील संख्या 11 में आक्षेपित निर्णय और आदेश एफ दिनांक 13.12.2007 से उत्पन्न हुई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता की धारा 37 के तहत प्रतिवादी द्वारा अभिमत की गई अपील की अनुमति दी थी और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 (इसके बाद "मध्यस्थता अधिनियम"), और दिनांक 19.12.2003 के मध्यस्थ पंचाट/अधिनिर्णय को रद्द/अपास्त कर दिया।

2. इस मामले के निपटान के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं: अपीलकर्ता को 1994 में प्रतिवादी द्वारा जारी की गई निविदा के अनुसार दिनांक 20.07.1995 को कार्य आदेश दिया गया था। अनुबंध समझौता असम में अच्छी तरह से ड्रिलिंग और अन्य सहायकसंचालन के उद्देश्य से था, और यह 05.06.1996 से प्रभावी हुआ था। हालाँकि, अनुबंध आपसी सहमति से एक-एक वर्ष की दो क्रमिक अवधियाँ का था, और अंततः अनुबंध 04.10.2000 को समाप्त हो गया।

3. अनुबंध के अस्तित्व के दौरान, ड्रिलिंग कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्रियों में से एक, हाई-स्पीड डीजल ("एचएसडी") की कीमतों में वृद्धि हुई। अपीलकर्ता ने दावा किया कि एचएसडी की कीमत में वृद्धि, अनुबंध को पूरा करने के लिए एक आवश्यक घटक ने अनुबंध के तहत "कानून में बदलाव" खंड (यानी, खंड 23) को ट्रिगर किया और प्रतिवादी उसी के लिए प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी बन गया। जब प्रतिवादी दावे को खारिज करता रहा, तब अपीलकर्ता ने अंततः दिनांक 01.03.1999 के पत्र के माध्यम से मध्यस्थता खंड लागू किया। विवाद को एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजा गया था जिसमें तीन मध्यस्थ शामिल थे।

4. 19.12.2003 को, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 1999 के ए.पी. नंबर 8 में पंचाट/अधिनिर्णय जारी किया। बहुमत की राय ने अपीलकर्ता के दावे को स्वीकार कर लिया और पंचाट/अधिनिर्णय की तारीख से पंचाट/अधिनिर्णय राशि की वसूली तक प्रति वर्ष 10%

ब्याज के साथ 98,89,564,33 रूपए की राशी प्रदान की गई बाद में राशि को संशोधित कर 11.03.2005 को रु. 1,32,32,126.36 रूपए कर दिया था। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने माना कि राज्य या संघ के अधिकार के तहत जारी एक परिपत्र के माध्यम से एचएसडी मूल्य में वृद्धि शाब्दिक अर्थ में "कानून" नहीं है, लेकिन इसमें "कानून का बल" है और इस प्रकार यह खंड 23 के दायरे में आता है। .दूसरी ओर, अल्पमत ने माना कि कार्यकारी आदेश अनुबंध के खंड 23 के दायरे में नहीं आते हैं।

5. फैसले से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने इसे जिला न्यायाधीश के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती दी। 04.07.2006 को, विद्वान जिला न्यायाधीश ने पंचाट/अधिनिर्णय को बरकरार रखा और माना कि ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष बिना आधार के या भारत की लोक नीति के खिलाफ या स्पष्ट रूप से अवैध नहीं थे और न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

6. प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील दायर कर जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी। आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित पंचाट/अधिनिर्णय को रद्द कर दिया।

7. उच्च न्यायालय ने माना कि शर्तों की व्याख्याआर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा अनुबंध गलत है और भारत की लोक नीति के विरुद्ध है। की धारा 37 के तहत न्यायिक समीक्षा के दायरे परमध्यस्थता अधिनियम, उच्च न्यायालय ने माना कि न्यायालय के पास स्थापित करने की शक्ति हैइस पंचाट/अधिनिर्णय को किनारे कर दिया गया क्योंकि यह नियम और शर्तों को नजरअंदाज कर पारित किया गया था| इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से यह वर्तमान अपील दायर की है।

8. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आक्षेपित आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि

ए) एक उच्च न्यायालय ने खंड 23 को शामिल करने के इरादे के बारे में अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण दिया है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले पर अपील की है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि खंड 23 का निर्माण व्याख्या का विषय है और मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा पहले उद्धृत न्यायदृष्टान्तों के आधार पर इसकी सही व्याख्या की गई है।

बी) यदि कानून के प्रश्न पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो उच्च न्यायालय एक दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के प्रशंसनीय दृष्टिकोण को सम्मान दिया जाना चाहिए। विद्वान वकील ने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए मैकडरमॉट इंटरनेशनल इंक बनाम बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड [(2006) 11 एससीसी 181] में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

सी) मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय किए गए कानून के प्रश्न न्यायिक समीक्षा से परे हैं और इस प्रकार उच्च न्यायालय एक तर्कसंगत फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था जो न तो भारत की लोक नीति के खिलाफ था और न ही स्पष्ट रूप से अवैध था।

9. जवाब में, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का समर्थन करते हुए कहा कि

ए) मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय अनुबंध की शर्तों के विपरीत है और अनिवार्य रूप से अनुबंध को फिर से लिखता है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अनुबंध के चारों कोनों के भीतर विवाद का फैसला करना है और इस प्रकार खंड 23 के तहत विचार नहीं किए गए अतिरिक्त प्रतिपूर्ति प्रदान करना विकृत और स्पष्ट रूप से अवैध है।

बी) अनुबंध के नियमों और शर्तों की अनदेखी मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 का उल्लंघन है और इस प्रकार ट्रिब्यूनल ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।

सी) यह ऐसा मामला नहीं है जहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने अनुबंध की शर्तों की एक व्याख्या को स्वीकार कर लिया जहां दो व्याख्याएं संभव थीं। ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष विकृत और अनुचित हैं क्योंकि ट्रिब्यूनल ने अनुबंध पर समग्र रूप से विचार नहीं किया और अनुबंध की व्याख्या के मुख्य सिद्धांत का पालन करने में विफल रहा।

डी) मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने व्याख्या की आड़ में अनुबंध को दोबारा लिखा है और ऐसी व्याख्या अनुबंध की शर्तों के विपरीत होने के कारण भारत की लोक नीति के विपरीत है।

10. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

11. इस अपील में उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत अदालत के अधिकार क्षेत्र के दायरे और दायरे में गहराई से जाने की जरूरत है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 निम्नानुसार प्रदान करती है-

34**. मध्यस्थ पंचाट/अधिनिर्णय को रद्द करने के लिए आवेदन।** (1) किसी मध्यस्थ पंचाट/अधिनिर्णय के खिलाफ न्यायालय का सहारा केवल उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अनुसार ऐसे पंचाट/अधिनिर्णय को रद्द करने के लिए एक आवेदन द्वारा किया जा सकता है।

(2) किसी मध्यस्थ पंचाट/अधिनिर्णय को न्यायालय द्वारा केवल तभी रद्द किया जा सकता है जबकि -

(ए) आवेदन करने वाला पक्ष सबूत प्रस्तुत करता है कि-

(i) एक पार्टी किसी अक्षमता के अधीन थी, या

(ii) मध्यस्थता समझौता उस कानून के तहत वैध नहीं है जिसके लिए पक्छकारयों ने इसे अधीन किया है या, उस पर किसी भी संकेत के अभाव में, उस समय लागू कानून के तहत वैध नहीं है; या

(iii) आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थ कार्यवाही की उचित सूचना नहीं दी गई थी या अन्यथा वह अपना मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ था; या

(iv) मध्यस्थ पंचाट/अधिनिर्णय ऐसे विवाद से निपटता है जिस पर विचार नहीं किया गया है या जो मध्यस्थता में प्रस्तुत करने की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है, या इसमें मध्यस्थता में प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णय शामिल हैं:

बशर्ते, यदि मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत मामलों पर निर्णयों को इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किए गए मामलों से अलग किया जा सकता है, तो मध्यस्थता पंचाट/अधिनिर्णय का केवल वह हिस्सा जिसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए मामलों पर निर्णय शामिल हैं, को अलग रखा जा सकता है; या

(v) मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना पक्छकारयों के समझौते के अनुसार नहीं थी, जब तक कि ऐसा समझौता किसी के साथ टकराव में न हो इस भाग का प्रावधान जिससे पक्षकार अपमानित नहीं हो सकते, या ऐसा न होने पर समझौता इस भाग के अनुरूप नहीं था, या

(बी) न्यायालय ने पाया कि-

(i) विवाद की विषय वस्तु फिलहाल लागू कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटाने में सक्षम नहीं है, या

(ii) मध्यस्थ निर्णय भारत की लोक नीति के विपरीत है

स्पष्टीकरण। उपखंड की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

(ii) किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि एक पंचाट/अधिनिर्णय भारत की लोक नीति के साथ टकराव में है यदि पंचाट/अधिनिर्णय का निर्माण धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था या धारा 75 या धारा का उल्लंघन था 81.

(3) अलग करने के लिए कोई आवेदन उस तारीख से तीन महीने बीत जाने के बाद नहीं किया जा सकता है जिस दिन उस आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ पंचाट/अधिनिर्णय प्राप्त हुआ था या, यदि धारा 33 के तहत अनुरोध किया गया था, तो उस तारीख से जब वह अनुरोध को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निपटाया गया था: बशर्ते कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि आवेदक को तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह तीस दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं.

(4) उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर, न्यायालय, जहां यह उचित हो और किसी पक्ष द्वारा ऐसा अनुरोध किया गया हो, मध्यस्थता देने के लिए कार्यवाही को उसके द्वारा निर्धारित समय की अवधि के लिए स्थगित कर सकता है। न्यायाधिकरण को मध्यस्थ कार्यवाही को फिर से शुरू करने या ऐसी अन्य कार्रवाई करने का अवसर मिलेगा जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण की राय में मध्यस्थ पंचाट/अधिनिर्णय को रद्द करने के लिए आधार को समाप्त कर देगा।

12. यह एक स्थापित स्थिति है कि एक न्यायालय केवल मध्यस्थता अधिनियम में प्रदान किए गए आधारों पर ही पंचाट/अधिनिर्णय को रद्द कर सकता है, जैसा कि न्यायालयों द्वारा व्याख्या की गई है। हाल ही में यह कोर्ट **डायना टेक्नोलॉजीज प्रा.लि. लिमिटेड बनाम क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड [2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1656]** ने इस तरह के हस्तक्षेप का दायरा निर्धारित किया है। इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा

26. इसमें कोई विवाद नहीं है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 किसी पंचाट/अधिनिर्णय को चुनौती केवल उसमें दिए गए आधारों पर या विभिन्न न्यायालयों द्वारा व्याख्या के अनुसार सीमित करती है। **हमें इस तथ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है कि मध्यस्थ निर्णयों में लापरवाही और लापरवाही से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुंच जाए कि निर्णय की विकृति मामले की जड़ तक जाती है और विकल्प की कोई व्याख्या जो मध्यस्थ पंचाट/अधिनिर्णय को कायम रख सकती है** की संभावना नहीं है धारा 34 अपने दृष्टिकोण में भिन्न है और इसे सामान्य अपीलीय क्षेत्राधिकार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। धारा 34 के तहत जनादेश मध्यस्थ पंचाट/अधिनिर्णय की अंतिमता और पार्टी की स्वायत्तता का सम्मान करना है ताकि वे अपने विवाद को कानून के तहत वैकल्पिक फोरम द्वारा निपटा सकें। यदि न्यायालय तथ्यात्मक पहलुओं पर सामान्य प्रक्रिया में मध्यस्थ पंचाट/अधिनिर्णय में हस्तक्षेप करते हैं, तो वैकल्पिक विवाद समाधान को चुनने के पीछे का व्यावसायिक ज्ञान कुंठित हो जाएगा।"

(जोर दिया गया)

13. यह भी स्थापित कानून है कि जहां दो दृष्टिकोण संभव हैं, न्यायालय तर्क द्वारा समर्थित मध्यस्थ द्वारा उठाए गए प्रशंसनीय दृष्टिकोण में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। डायना टेक्नोलॉजीज (सुप्रा) में इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा-

"27. इसके अलावा, इस न्यायालय के अनगिनत निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यायालयों को किसी पंचाट/अधिनिर्णय में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि तथ्यों और अनुबंध की व्याख्या पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण मौजूद है। **न्यायालयों को सतर्क रहने की जरूरत है और उन्हें इस दृष्टिकोण को स्थगित कर देना चाहिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोणको स्थगित करना चाहिए भले ही पंचाट/अधिनिर्णय में दिए गए तर्क निहित हों, जब तक कि एफ ऐसा पंचाट/अधिनिर्णय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत अक्षम्य विकृति को चित्रित नहीं करता है।"**

(जोर दिया गया)

14. हालाँकि, वर्तमान मामले में सवाल यह है कि क्या ट्रिब्यूनल के फैसले में अनुबंध को प्रदान की गई व्याख्या उचित और निष्पक्ष थी, ताकि वह मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत एकत्र/जुटाना को पारित कर सके?

15. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी ने तर्क दिया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित व्याख्या भी नहीं थी, इसलिएयह पंचाट/अधिनिर्णय अतार्किक एवं अनुचित होने के कारण विकृति से ग्रस्त है। इसलिए, प्रतिवादी ने अनुरोध किया है कि पंचाट/अधिनिर्णय को रद्द कर दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, हम कह सकते हैं कि आम तौर पर न्यायालय को मध्यस्थ द्वारा पंचाट/अधिनिर्णय में प्रदान की गई व्याख्या के गुणों की जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है, यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसी व्याख्या उचित रूप से संभव थी।

16. हम खंड को देखकर शुरू करते हैं, यानी खंड 23 जो नीचे दिया गया है:

बाद में अधिनियमित कानून:-

बोली खोलने की कीमत की तारीख के बाद यदि किसी कानून में बदलाव या अधिनियमन होता है या मौजूदा कानून की व्याख्या होती है, जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध के तहत संचालन के कारण ठेकेदार को अतिरिक्त लागत/लागत में कमी आती है, तो कंपनी/ ठेकेदार वास्तव में खर्च की गई ऐसी अतिरिक्त/कम लागत के लिए ठेकेदार/कंपनी को प्रतिपूर्ति/भुगतान करेगा।

17. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अभिनिर्धारित कि इस खंड का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए और भारत सरकार का कोई भी परिपत्र कानून में बदलाव के समान होगा। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने कहा:

"किसी भी दस्तावेज़ के निर्माण के नियम के अनुसार दस्तावेज़ को समग्र रूप से पढ़ना या लेना सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए और जब तक यह दस्तावेज़ के विशेष खंड में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता है, तब तक बहिष्करण का अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए। यह

व्याख्या के नियम के अनुसार है। सिस्टम के सुचारु रूप से काम करने की दृष्टि से एक सुसंगत व्याख्या दी जानी चाहिए, जिसे दस्तावेज़ विनियमित करना चाहता है। ऐसे शब्द, जो इसे असंगत या अव्यवहार्य बनाता है, से बचना चाहिए। इसे लाभकारी निर्माण के रूप में जाना जाता है और एक ऐसा निर्माण किया जाना चाहिए जो शरारत को दबाएं और उपचार को आगे बढ़ाएं। इसलिए, डीजल की बढ़ी हुई कीमत के कारण परिचालन लागत में वृद्धि सीएल 23 में निहित अनुबंध के विषय मामलों में से एक है। यह कहा जा सकता है कि सीएल 23 को कहा जा सकता है "हैबेंडम क्लॉज" के रूप में। अनुबंध के विलेख में विभिन्न अनुदान खंड और अनुदानकर्ता के इरादे को दर्शाने वाला हेबेंडम शामिल है।

वह खंड 23 की अभिव्यक्ति 'कानून' या कानून में बदलाव आदि की व्याख्या के लिए उदार व्याख्या की आवश्यकता है, यह उन तथ्यों से भी स्पष्ट होगा कि प्रतिवादी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अपने गवाह के माध्यम से श्री पसरीजा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि डीजल की कीमत या किसी अन्य तेल की कीमत में बदलाव कभी भी संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा किसी वैधानिक अधिनियम के माध्यम से नहीं किया गया था, इसलिए, यह स्पष्ट है कि जिस समय खंड 23 को समझौते में शामिल किया गया था, ऑयल इंडिया लिमिटेड को अच्छी तरह से पता था कि तेल की कीमत में बदलाव कभी भी किसी वैधानिक कानून द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि केवल सरकारी आदेश, संकल्प, निर्देश के आधार पर किया गया था, जैसा भी मामला हो, एक शर्त को स्वीकार करने पर उपयुक्त समिति अर्थात् ओ.पी.सी. यह तब भी लागू करने के लिए स्पष्ट है जब तेल की कीमत में परिवर्तन होता है, यहां एचएसडी, सरकार और उसके वैधानिक प्राधिकारी द्वारा, जैसा कि ऊपर अधिनियमित किया गया है, बिना किसी वैधानिक अधिनियम का सहारा लिए। इसलिए अभिव्यक्ति 'कानून' सी की व्याख्या या कानून में बदलाव आदि के लिए वैधानिक कानून, या केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में जारी किए गए किसी भी आदेश, निर्देश और संकल्प को शामिल करने के लिए इस विस्तारित अर्थ की आवश्यकता होती है।

बहुमत अधिनिर्णय 'डी' अनुबंध को समझने के लिए 'उदार व्याख्या नियम' का उपयोग करता है, ताकि एचएसडी की कीमत में वृद्धि को अनुबंध के खंड 23 के तहत लाया जा सके। इसके अलावा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पूर्वोक्त खंड को 'हेबेंडम क्लॉज' के रूप में पहचानता है, जिसमें अपीलकर्ता को दिए गए अधिकारों को व्यापक रूप से समझा जाना आवश्यक है।

18. दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में, ने उसी खंड की व्याख्या इस प्रकार की:

"27...मेरा दृढ़ विचार है कि खंड 23 को ऐसी अनिश्चित और अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिए समझौते में शामिल किया गया था और निश्चित रूप से अनुबंध की एक निश्चित दर को संशोधित करने के लिए नहीं। मुझे यह भी पता चला है कि दोनों पक्ष "अप्रत्याशित घटना" को बनाए रखने पर सहमत हुए थे "समझौते में खंड। वाणिज्यिक कानून के इस सिद्धांत के तहत, एक अनुबंध समझौते को ईश्वरीय कृत्यों आदि के लिए रद्द किया जा सकता है। समझौते के खंड 44.3 के तहत, "अप्रत्याशित घटना" को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें सरकार के कार्य और नियम शामिल हैं एक अनुबंध को रद्द करने के लिए। इस तरह, खंड 23 "अप्रत्याशित घटना खंड" के बहुत करीब और समान है। इसके अलावा, मैं यह भी घोषणा कर सकता हूं कि खंड 23 "निराशा के सिद्धांत और असंभवता की निगरानी" के लिए आदर्श है। दूसरे शब्दों में धारा 23 के तहत मौजूदा कानून में किसी भी बदलाव या नए कानून के लागू होने या नए कानून के आधार पर दोनों पक्षों के अधिकार और दायित्व बचाए गए हैं।मौजूदा कानून की व्याख्या. मेरी राय में, खंड 23 को एच होना चाहिए बिना किसी अन्य उद्देश्य के भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 56 को ध्यान में रखते हुए समझौते का हिस्सा बनाया गया है।

19. उच्च न्यायालय ने अपने तर्क में सुझाव दिया है कि खंड 23 एक अप्रत्याशित घटना खंड के समान है। हमें अप्रत्याशित घटना खंड की उपयोगिता और निहितार्थ को समझने की आवश्यकता है। भारतीय अनुबंध कानून के तहत, किसी अप्रत्याशित घटना के बी परिणाम संविदा अधिनियम की धारा 56 के तहत प्रदान किए जाते हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी ऐसी घटना के घटित होने पर जो प्रदर्शन को असंभव बना देती है, उसके बाद अनुबंध शून्य हो जाता है। संविदा अधिनियम की धारा 56 इस प्रकार है:

56. **असंभव कार्य करने का समझौता.-** किसी असंभव कार्य को करने का समझौता अपने आप में शून्य है।कार्य करने के लिए किया गया अनुबंध बाद में असंभव या गैरकानूनी हो जाता है-किसी कार्य को करने का अनुबंध, जो अनुबंध करने के बाद असंभव हो जाता है, या किसी घटना के कारण, जिसे वादा करने वाला रोक नहीं सका, गैरकानूनी हो जाता है, उस कार्य को करने का अनुबंध उस समय शून्य हो जाता है, जब वह कार्य असंभव हो जाता है। या गैरकानूनी हो जाता है

20. जब पक्छकारयों ने यह प्रावधान नहीं किया है कि जब कोई घटना अनुबंध के निष्पादन को असंभव बना देती है तो क्या होगा, तब संविदा अधिनियम की धारा 56 लागू होती है। जब अनुबंधित कार्य असंभव हो जाता है, तो धारा 56 के तहत, पक्छकारयों को आगे के

प्रदर्शन से छूट दी जाती है और अनुबंध शून्य हो जाता है। जैसा कि इस न्यायालय ने सत्यब्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी, एआईआर 1954 एससी 44 में कहा था:

"15. कानूनी सिद्धांतों को तैयार करने के तरीके में ये अंतर वास्तव में हमें तब तक चिंतित नहीं करते जब तक हमारे पास भारतीय संविदा अधिनियम में एक वैधानिक प्रावधान है। भारत में मामलों का निर्णय लेने में हमें जिस एकमात्र सिद्धांत पर चलना है वह असंभवता की निगरानी करना है या अवैधता जैसा कि संविदा अधिनियम की धारा 56 में निर्धारित किया गया है, "असंभव" शब्द को उसके व्यावहारिक अर्थ में लेना है न की शाब्दिक अर्थ में। हालांकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि धारा 56 सकारात्मक कानून का नियम बताती है और मामले को पक्छकारों के आश्रय के अनुसार निर्धारित करने के लिए नहीं छोरती है।

(जोर दिया गया)

हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविदा अधिनियम की धारा 32 के तहत पक्छकार/ पक्छकारोंअनिश्चित भविष्य की घटना के घटित होने वाले परिणामों को चुन सकती हैं।

21. दूसरी ओर, सामान्य कानून ने एक बिंदु पर इस तरह की हताशा के परिणाम की व्याख्या उस पार्टी पर की, जिसे निराशाजनक घटना से पहले नुकसान हुआ था। इस तरह की व्याख्या का सबसे अच्छा उदाहरण उन मामलों की श्रृंखला में देखा जा सकता है जिन्हें 'राज्याभिषेक मामले' के रूप में जाना जाता है। चांडलर बनाम वेबस्टर, [1904] 1 केबी 493 में, श्री चांडलर ने 26 जून 1902 को आयोजित होने वाले किंग एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक जुलूस को देखने के लिए श्री वेबस्टर से जगह किराए पर ली थी। श्री चांडलर ने इसके लिए आंशिक भुगतान किया था। हालाँकि, राजा के बीमार पड़ने के कारण राज्याभिषेक स्थगित कर दिया गया था। जैसा कि श्री वेबस्टर ने अपने प्रतिफल के भुगतान पर जोर दिया, मामला अदालत में लाया गया। अपील न्यायालय ने श्री चांडलर और श्री वेबस्टर दोनों के दावों को खारिज कर दिया। फैसले का सार यह था कि एक बार जब सी अनुबंध की निराशा हो जाती है, तो कोई प्रवर्तन नहीं हो सकता है और नुकसान उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसने अप्रत्याशित घटना होने से पहले इसे बरकरार रखा था।

22. हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा फाइब्रोसा स्पोल्का अक्सीजना बनाम फेयरबैर्न लॉसन कॉम्बे बारबोर लिमिटेड, [1942] यूकेएचएल 4 के ऐतिहासिक फैसले में इस फॉर्मूलेशन को खारिज कर दिया गया था, जिसमें पुराने सिद्धांत के अनुसार हताशा के कठोर परिणामों को नियंत्रित किया गया था। पुनर्स्थापन के कानून की शुरूआत द्वारा. दिलचस्प बात यह है कि कैंटियारे सैन रोक्को एसए (शिपबिल्डिंग कंपनी) बनाम क्लाइड शिपबिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, [1924] एसी 226 में लॉर्ड शॉ ने कहा था कि नुकसान को वहीं छोड़ने का अंग्रेजी कानून है, जब तक कि अनुबंध में अन्यथा प्रावधान न किया गया हो। उन्होंने कहा, यह केवल चालबाजों, जुआरियों और चोरों के बीच ही उपयुक्त है।'' ब्रिटेन की संसद ने उपरोक्त फैसले पर संज्ञान लिया और कानून सुधार (कुंठित अनुबंध) अधिनियम, 1943 बनाया|

23. भारत में, संविदा अधिनियम ने पहले ही कुछ हद तक इस तरह की निराशा के कठोर परिणामों को पहचान लिया था और संविदा अधिनियम की धारा 65 के तहत इसे सुधारने के लिए एक सीमित तंत्र प्रदान किया था। धारा 65 निम्नानुसार प्रावधान करती है:

65.उस व्यक्ति का दायित्व जिसने शून्य समझौते के तहत लाभ प्राप्त किया है, या अनुबंध जो शून्य हो जाता हैजब कोई समझौता शून्य पाया जाता है, या जब कोई अनुबंध शून्य हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे समझौते या अनुबंध के तहत कोई लाभ प्राप्त किया है, उसे बहाल करने के लिए बाध्य है, या उस व्यक्ति को इसके लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य है जिससे उसने इसे प्राप्त किया है।

उपर्युक्त खंड “आधार की 'विफलता' के लिए क्षतिपूर्ति का आधार प्रदान करता है"। हम इस बात से अवगत हैं कि उपरोक्त प्रावधान सीमित परिस्थितियाँ को संबोधित करता है जिनमें कोई समझौता प्रारंभ से ही शून्य हो जाता है या अनुबंध बाद में शून्य हो जाता है।

24. मामले पर वापस आते हुए, अनुबंध ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित तरीके से खंड 44.3 में अप्रत्याशित घटना को मान्यता दी है:

इस खंड के प्रयोजन के लिए "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ है दैवीय कृत्य, युद्ध, विद्रोह, दंगे, हड़ताल, बंद, आग, बाढ़, तोड़फोड़, सड़कों, प्रणालियों और भारत सरकार के कृत्यों और विनियमों की विफलता या विनाश और अन्य खंड (लेकिन ठेकेदार की रोजगार समस्या के कारण नहीं) पक्छकारयों के उचित नियंत्रण से परे हैं।

इसके अलावा, खंड 22.23 के तहत, पक्छकारयां किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए अप्रत्याशित घटना दर के भुगतान के लिए सहमत हुई थीं, जो प्रकृति में अस्थायी है।

25. यहां चर्चा किए गए कानून के संबंध में, हम मध्यस्थ न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों से सहमत नहीं हैं। हालांकि, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सही ढंग से माना कि एक अनुबंध की व्याख्या अनुबंध के सभी खंडों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए, लेकिन यह अनुबंध के खंड 23 की व्याख्या करते समय समान मानक लागू करने में विफल रहा।

26. हम उच्च न्यायालय के इस तर्क से भी पूरी तरह सहमत नहीं हैं कि खंड 23 को हताशा के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए जोड़ा गया था। बल्कि, भारतीय संविदा अधिनियम के तहत, हताशा के सिद्धांत का प्रभाव यह है कि यह सभी पक्षों को भविष्य के दायित्वों से मुक्त कर देता है। हताशा के कठोर परिणामों को कम करने और अनुबंध की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, पक्छकारयों ने अपने व्यावसायिक ज्ञान के साथ, अनुबंध के खंड 23 के तहत जोखिम को कम करने का विकल्प चुना।

27. हमारा ध्यान **सुमितोमो हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**, (2010) 11 एससीसी 296 की ओर आकर्षित किया गया था, जहां इस न्यायालय ने एक क्षतिपूर्ति खंड की व्याख्या की और पाया कि ऐसे खंड के तहत अतिरिक्त कर का बोझ वसूल किया जा सकता है। साक्ष्यों की सराहना के आधार पर, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि धारा के तहत अतिरिक्त कर का बोझ वसूल किया जा सकता है क्योंकि ऐसी व्याख्या एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है जिसे एक उचित व्यक्ति ले सकता है और तदनुसार पंचाट/अधिनिर्णय को कायम रख सकता है। हालाँकि, हमारी राय है कि उपरोक्त मामला और अनुपात यहां लागू नहीं हो सकता है क्योंकि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य यह नहीं बताते हैं कि पक्छकारयां प्रश्न में खंड की व्यापक व्याख्या के लिए सहमत हुई थीं।

28. इस संदर्भ में, व्यापक व्याख्या प्रदान करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अनुबंध के खंड 23 की व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि व्याख्या का मुख्य नियम यह है कि लिखित अनुबंध बनाने वाले दस्तावेज़ को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और जहाँ तक संभव हो परस्पर व्याख्यात्मक। मौजूदा मामले में, खंड की व्याख्या करते समय ट्रिब्यूनल द्वारा इस बुनियादी नियम की अनदेखी की गई थी।

29. यहां प्रतिवादी द्वारा जारी एक निविदा को आगे बढ़ाने में पक्छकारयों के बीच अनुबंध दर्ज किया गया था। निविदा बोलियों पर विचार करने के बाद, अपीलकर्ता ने एक आशय पत्र जारी किया। आशय पत्र को आगे बढ़ाते हुए, अनुबंध (अनुबंध संख्या CCO/FC/0040/95) तेल कुओं की ड्रिलिंग और सहायक कार्यों के लिए था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुबंध मूल्य 'ठेकेदार' को उसके संविदात्मक दायित्वों के पूर्ण और उचित प्रदर्शन के लिए देय था। इसके अलावा, अनुबंध के खंड 14.7 और 14.11 में कहा गया है कि दरें, नियम और शर्तें अंतिम खोदे जाने वाले कुएं के पूरा होने या छोड़े जाने तक लागू रहेंगी।

30. उपरोक्त चर्चा से यह कहा जा सकता है कि अनुबंध एक निश्चित दर पर आधारित था। पार्टी ने निविदा प्रक्रिया में प्रवेश करने से पहले, इस तरह की वृद्धि के जोखिम को कम करने के बाद अनुबंध में प्रवेश किया। यदि निविदा का उद्देश्य मूल्य भिन्नता के जोखिमों को सीमित करना था, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा रखी गई व्याख्या को संभव नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह अनुबंध के स्पष्ट शब्दों और उद्देश्य को पूरी तरह से विफल कर देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कीमतों में उतार-चढ़ाव होगा जिसे एक समझदार ठेकेदार ने निविदा में बोली लगाते समय मार्जिन में लिया होगा। इस तरह के मूल्य में उतार-चढ़ाव को खंड 23 के तहत नहीं लाया जा सकता जब तक कि विशिष्ट भाषा समावेशन की ओर इशारा न करे।

31. एचएसडी की दर में परिवर्तन को शामिल करने के लिए खंड 23 के अर्थ का विस्तार करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की व्याख्या इस अनुबंध की संभावित व्याख्या नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जो इसे साबित करता हो।

32. अन्य संविदात्मक शर्तें यह भी बताती हैं कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा सुझाई गई धारा की व्याख्या विकृत है। उदाहरण के लिए, प्रदर्शनी सी (ऑनशोर रिग ऑपरेशन के लिए ठेकेदार या ऑपरेटर द्वारा प्रस्तुत उपकरण और सेवाओं का समेकित विवरण) की सूची I (उपभोज्य) का आइटम I इंगित करता है कि ईंधन की आपूर्ति संपर्ककर्ता द्वारा उसके खर्च पर की जाएगी। ऐसे खंड के अस्तित्व से पता चलता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अनुबंध की व्याख्या हैअनुबंध की संभावित व्याख्या नहीं |

33. उपरोक्त कारणों से, हम पंचाट/अधिनिर्णय को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले और आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार अपील खारिज की जाती है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

सिविल अपील सं. 2012 के 900

34. सी.ए. में सुनाए गए फैसले के मद्देनजर क्रमांक 673 दिनांक 2012 के अनुसार उपरोक्त शर्तों के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।

Smt. Namit Dwivedi,
Assistant Director, MPSJA